

पत्रांक
सेवा में, 18 सी०

दिनांक, रानीखेत, 02/09/2024

विषय:-

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा,
वन प्रभाग अल्मोड़ा।

जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग किमी० 6, हेमी० 4-6 से बयेला नाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.417 है० वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून के पत्रांक सं०- 08बी०/यू०सी०पी०/06/112/2015/एफ०सी०/947 दिनांक 07.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का विन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

क्र. सं.	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.834 है० ग्राम- फल्दाड़ी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसके वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश सं 5342/ग्यारह-19/2017-18 दिनांक 03.07.2018 के क्रम में ग्राम-कल्याणी, तहसील- द्वाराहाट की सिविल सोयम भूमि श्रेणी 9.3(ड०) के खाता सं०-46 खेत नं०-1.19.21.51.67.241, 243.296.322.325.347.4212.4244.4246 मध्ये 8.834 है०, कुल 8.834 है० भूमि का राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 30.07.2024 को नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के नाम कर दिया गया है। (खतौनी/प्रमाण पत्र संलग्न)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव शुद्ध वर्तमान मूल्य की (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा हेतु रु० 1978153.00 मात्र UTR नम्बर SBIN 424170122120 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा कारपोरेशन बैंक एफ०सी०एस० बैंगलूरु में ऑनलाईन जमा कर दी गयी है। (प्रमाण पत्र संलग्न)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो वालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव शुद्ध वर्तमान मूल्य की (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा हेतु रु० 1978153.00 मात्र UTR नम्बर SBIN 424170122120 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा कारपोरेशन बैंक एफ०सी०एस० बैंगलूरु में ऑनलाईन जमा कर दी गयी है। (प्रमाण पत्र संलग्न), जिसकी सूचना पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

क्रमशः पेज नं०-2 पर

5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
---	---	------------------------

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करे, ताकि उक्त मोटर मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सकें।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ओंकार पाण्डेय)
अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक 1935 / 18 सी० तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा से सम्पर्क कर अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब अवाछनीय होगा। भविष्य में इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रतिलिपि खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय से सम्पर्क कर अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब अवाछनीय होगा। भविष्य में इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(ओंकार पाण्डेय)
अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

:: प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग किमी० 6, हेमी० 4-6 से बयेला नाइ मोटर मार्ग के निर्माण में सड़क के दोनों किनारों तथा सेन्ट्रल वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करा दिया जायेगा।

✓
अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत

:: क्षतिपूरक वृक्षारोपण हस्तान्तरण/नामान्तरण प्रमाण पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग किमी. 6, हेमी 0 4-6 से बयेला नाड़ मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 8.834 है 0 भूमि, ग्राम-फलदाड़ी, तहसील- द्वाराहाट की सिविल सोयम भूमि श्रेणी 9,3(ड0) के खाता सं 0-46 खेत नं 0-1,19,21,51,67,241,243,296,322,325,347,4212,4244,4246 मध्ये 8.834 है 0, कुल 8.834 है 0 भूमि का राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 30.07.2024 को नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के नाम कर दिया गया है।


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो 0 नि 0 वि 0
रानीखेत

:: एन0पी0वी0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र::

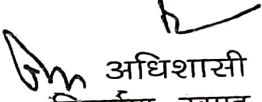
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग किमी. 6, हेमी0 4-6 से बयेला नाड़ मोटर मार्ग के एन0पी0वी0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 1978153.00 मात्र UTR नम्बर SBIN/424170122120 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा कारपोरेशन बैंक एफ0सी0एस0 बेंगलूरु में ऑनलाईन जमा कर दी गयी है


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

::वचनबद्धता का प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग किमी० 6, हेमी० 4-6 से बयेला नाइ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.417 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बड़ी हुई एन०पी०वी० की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-06-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6193640385
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division P.W.D Ranikhet Almora
Amount(in Rs)	1978153/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Seventy-Eight Thousand One Hundred and Fifty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896193640385 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-06-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6193640385
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division P.W.D Ranikhet Almora
Amount(in Rs)	1978153/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Seventy-Eight Thousand One Hundred and Fifty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

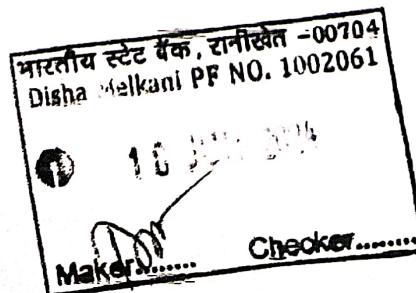
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896193640385 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, bin0903710@unionbankofindia.bank

Executives
Const. Division P.W.D.
RANIKHET.

Executives
Const. Division P.W.D.
RANIKHET.



S B I N 424/20122120



Scanned with OKEN Scanner

ग्राम- फल्दाड़ी गैर ज०वि० खतौनी नकल
रा०उ०नि० क्षेत्र- फल्दाड़ी तहसील- द्वाराहाट जिला- अल्मोड़ा
श्रेणी- 9(3)ग- गौचर

खतौनी खाता सं०	खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खसरा नम्बर	रकबा (हे०)	लगान	अन्य विवरण
46	पशुचर गौचर		1 19 21 49 51 63 67 ↓ 241 243 ↓ 296 306 319 322 325 ↓ 347 ↓ 4212 4240 4241 4244 4246 ↓ 5486 5488 5502	3.026 0.111 1.266 0.048 0.070 0.018 0.323 ↓ 0.326 0.151 ↓ 0.864 0.013 0.040 0.266 0.128 ↓ 0.490 ↓ 0.725 0.004 0.066 0.730 0.250 ↓ 0.006 0.031 0.368		जिलाधिकारी धर्मोदय अग्रवाल के आदेश संख्या 8342/मरह-19/2017-18, दिनांक 30 जुलाई 2018 के तहत में शान्तिपुर वृक्षारोपण हेतु ग्राम फल्दाड़ी राजस्व उप निरीक्षक द्वारा फल्दाड़ी तहसील द्वाराहाट के गैर ज०वि० खतौनी खसरा संख्या श्रेणी 9(3)ग गौचर पशुचर भूमि के पैगडिनी खतौनी नम्बर 1, 19, 21, 51, 67, 241, 243, 296, 322, 325, 347, 4212 में 4244 व 4246 खतौनी नम्बरों की कुल 8.854 है। भूमि वन विभाग के प्रशासनिक निर्वहण में भारमजिदारी पट्टी की गयी। ह० अग्रवाल ना.उ.नि. फल्दाड़ी
	योग		424	42.344		

महोदय,

नगर खतौनी असल खतौनी से
तैयार की,

30.07.2024

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र - फल्दाड़ी
तहसील - द्वाराहाट